

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल

(पुराना पुलिस कंट्रोल रूम, जहाँगीराबाद, भोपाल फोन नंबर- 0755-2443870, Email-dcp.int.bhopal@mppolice.gov.in)

क्रमांक- पु०उपा०/आसू०सु०/सुरक्षा शाखा/आ० 14 / 2025

भोपाल, दिनांक- 12/04/2025

//आदेश//

(अंतर्गत ड्रोन नियम 2021)

(नागर विमानन मंत्रालय नियमावली संबंधी अधिसूचना क्रमांक 477 दिनांक 25-08-2021 के नियम क्रमांक 01 के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत)

दिनांक 13 अप्रैल 2025 को माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह जी (Z+ सुरक्षा दर्जा के साथ CRPF सुरक्षा कवर प्राप्त) का भोपाल में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। माननीय व्हीआईपी महोदय की Z+ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कार्यक्रम स्थल रविंद्र भवन भोपाल से 05 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाइडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाकर उक्त स्थान को रेड जोन/ नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 18:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कमर्शियल फ्लाईट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगी।

यह आदेश आज दिनांक 12/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सोनाक्षी सक्सेना भा.पु.से.)

पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा
नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता म०प्र० भोपाल।
2. पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
3. पुलिस महानिरीक्षक (कानून/व्यवस्था), पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
4. निदेशक विमानपत्तन, राजाभोज विमानतल भोपाल।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून/व्यवस्था), नगरीय पुलिस भोपाल।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
8. उपसंचालक जनसंपर्क भोपाल।
9. रक्षित निरीक्षक/ समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस भोपाल।
10. प्रभारी कंट्रोल रूम की ओर संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. भोपाल वेबसाइट पर प्रदर्शन करने हेतु।



पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा
नगरीय पुलिस भोपाल